

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, चतरा।

विविध वाद सं०-८७/२०१७

विफन दाँगी वगै० बनाम महावीर दाँगी वगै०

आदेश की क्रम एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
02/12/2020.	आवेदक विफन दाँगी, पिता-स्व० विशुन महतो एवं अन्य द्वारा ग्राम-टीकर, टोला-कसियाडीह थाना-चतरा, खाता संख्या-०७ कुल प्लॉट ११ कुल रकबा-७.८७ एकड़ भूमि से संबंधित महावीर दाँगी, पिता-स्व० कमल महतो एवं अन्य ग्राम-टीकर, टोला-कसियाडीह थाना-सदर चतरा, परवा देवी, पति-बितल दाँगी एवं अन्य सा०-बारीसाखी, पो०-बारीसाखी थाना-गिद्धौर, चतरा के विरुद्ध अधिवक्ता के माध्यम से दायर अभ्यावेदन के आलोक में यह वाद न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्ता, चतरा में प्रारम्भ किया गया है। उपरोक्त वाद की सुनवाई हेतु न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, चतरा द्वारा संबंधित पक्षकारों को वर्णित भूमि से संबंधित मूल दस्तावेज के साथ उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। संबंधित पक्षों द्वारा न्यायालय में अपने-अपने पक्ष में लिखित बहस समर्पित किया गया। अभिलेख में संलग्न अंचल अधिकारी, चतरा से संबंधित भूमि का प्राप्त जांच प्रतिवेदन में अंकित है कि ग्राम-भादे, थाना-चतरा, थाना नं०-२६४ के खाता संख्या-०७ कुल जमा प्लॉट ११, कुल जमा रकबा-७.८७ एकड़ सर्वे खतियान में हरनाथ महतो वल्द बौध महतो कौम कोइरी, सा०-टीकर के नाम से दर्ज है। लगान ८.५० रुपये खतियान में दर्ज है। ग्राम-भादे, थाना नं०-२६४ के के पंजी-॥ पृष्ठ संख्या-१४९/१ पर विशुन महतो वगैरह, पिता-मतल महतो के नाम से खाता संख्या-०७ रकबा-७.८७ एकड़ लगान ८.५० रु शेष की जमाबंदी कायम है। वर्तमान में बिक्री के पश्चात् रकबा ५.९३ एकड़ एवं लगान ४.२० रुपये अवशेष बचा है। लगान रसीद २०१४-१५ तक पंजी-॥ पर अंकित है। प्रश्नगत भूमि ग्राम-भादे, खाता	

संख्या-07, कुल प्लॉट-11, कुल रकबा-7.87 एकड़ भूमि मतल महतो, सा0-टीकर को निलामी केश नं0-780/1923-24 द्वारा निलामी से प्राप्त है। जमाबंदी रैयत विशुन महतो वगैरह निलामी प्राप्तकर्ता मतल महतो के पुत्र है। निलामी के पश्चात् जमीन्दारी रसीद विशुन महतो के नाम से कटा है तथा जमीन्दारी उन्मुलन के पश्चात् प्रथम रसीद दिनांक-14.03.54 को निर्गत हुई है। तत्पश्चात् लगातार रसीद 2014-15 तक निर्गत है तथा ऑनलाईन द्वारा वर्ष 2016-17 तक रसीद निर्गत है। पूछ ताछ से पाया कि प्रश्नतगत भूमि पर विपक्षीगण का दखल कब्जा है।

प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता अपने लिखित अभिकथन में यह उल्लेखित किया है कि खाता संख्या-07 कुल प्लॉट 11 कुल रकबा-7.87 एकड़ है जो सर्वे खतियान में हरनाथ महतो के नाम से दर्ज है। उक्त खाता प्लॉट का जमीन ग्राम-भादे थाना-चतरा में स्थित है। सर्वे रैयत हरनाथ महतो अपना जीवन काल उक्त खाता प्लॉट के जमीन दखल कब्जा में रहे। सर्वे रैयत के मरने के बाद सर्वे रैयत का वारिसान खाता संख्या-07 के जमीन पर वंशावली के अनुसार दखल कब्जा में आये। सर्वे रैयत हरनाथ महतो का वंशावली इस आवेदन के कंडिका (क) में तथा खाता संख्या-07 का पूरा जमीन का कंडिका (ख) दर्शाया गया है जो आवेदन का भी अंश है। सर्वे रैयत के जीवन काल में या सर्वे रैयत के मरने के बाद कभी खाता संख्या-07 का जमीन नीलाम नहीं हुआ तथा सर्वे रैयत उक्त खाता का जमीन का बाजीदावा नहीं दिये और न ही कही छोड़ कर भागे। उक्त खाता संख्या-07 का जमीन सर्वे रैयत के मरने के बाद सर्वे रैयत के वारिसान को जोत कोड़ दखल कब्जा में हमेशा रहा है। विपक्षीगण खाता संख्या-07 के जमीन का जाल फरेबी कागजात बनाकर आवेदकगण का सर्वे रैयत जमीन से बेदखल करना चाहते हैं। विपक्षीगण का जोत कोड़ दखल कब्जा में कभी भी खाता संख्या-07 का जमीन नहीं रहा है। अभी वर्तमान समय में सर्वे हो रहा है तथा विपक्षीगण लाठी तथा धनबल के आधार पर खाता संख्या-07 का जमीन का अपने नाम से सर्वे कराना चाहते हैं। आवेदकगण का विपक्षीगण खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि खाता संख्या-07 का जमीन हमलोगों के पास कागज है तथा सरकारी रसीद कट रहा है। विपक्षीगण या विपक्षीगण के पूर्वज के नाम से जमाबंदी चल रहा है तो उसे रद्द करते हुए आवेदकगण के नाम से जमाबंदी खोलने के आदेश देने का कृपा प्रदान करें।

द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता अपने लिखित अभिकथन में यह उल्लेखित किया है कि ग्राम-भादे के खाता संख्या-07 कुल रकबा-7.87 एकड़ सर्वे खतियान में हरनाथ महतो के नाम दर्ज था तथा आवेदकगण हरनाथ महतो के वंशज हैं तथा जमीन के दखल कब्जा में हैं। आवेदकगण के द्वारा ना तो कोई जमीन्दारी रसीद प्रस्तुत की गई है और ना ही कोई सरकारी रसीद प्रस्तुत की गई हैं। विपक्षीगण का कथन है कि यह बात सत्य है कि ग्राम-भादे के खाता संख्या-07 सर्वे खतियान में हरनाथ महतो के नाम दर्ज हुआ था, परन्तु हरनाथ महतो जमीन्दार को लगान नहीं दिये तो बकाया लगान वसूल करने के लिए भूतपूर्व जमीन्दार ने एक रेट सूट नं०-780/1923-24 दाखिल किया, जिसके फलस्वरूप जमीन निलाम हो गया, जिसे द्वितीय पक्ष के पूर्वज मतल महतो ने खरीद किया था तथा जमीन्दारी उन्मुलन के पूर्व भूतपूर्व जमीन्दार को लगान दिये तथा जमीन्दारी उन्मुलन के पश्चात् सरकार को लगान देकर सरकारी रसीद विशुन महतो के नाम से 2019 तक निर्गत हुआ है। विशुन महतो बड़े भाई थे तथा बड़ा भाई होने एवं घर के कर्ता के हैसियत से मतल महतो के मरने के बाद विशुन महतो के नाम दखिल खारिज होकर रसीद कटा मतल महतो के मृत्यु के बाद उनके चारों पुत्रों ने आपस में खाता संख्या-07 का बंटवारा चार भागों में कर लिया तथा प्रत्येक को $1.96\frac{2}{3}$ एकड़ लगभग हिस्सा में मिला। मतल महतो के पुत्र धरम महतो ने अपना हिस्सा का कुला जमीन अपनी पुत्री बरती देवी, पति-केदार दाँगी को बजरिये निबंधित केवाला लगभग 15-16 वर्ष पूर्व बेच दिया था बरती देवी के नाम वर्ष 2019 तक सरकारी रसीद कटा हुआ है। धरम महतो को कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उन्होंने अपना हिस्सा अपनी बेटी बरती देवी को बेच दिया जिस पर वह दखलदार है। मतल महतो के तीसरे पुत्र नागो महतो के पुत्र साधु महतो हैं जो इस वाद के विपक्षी हैं, उसी तरह कमल महतो बल्द मतल महतो के पुत्र महावीर महतो को इस वाद के विपक्षी हैं तथा विशुन महतो के पुत्र इसमें विपक्षी पक्षकार हैं। यह कि आवेदक ने स्वयं अपने बहस में यह कहा है कि विपक्षी का सेल सर्टिफिकेट केस जाली है तथा इसका नकल उन्होंने हजारीबाग से प्राप्त करने का प्रयास किया परन्तु नहीं मिला जबकि इस तरह का कोई कागजात उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया है। इस संदर्भ में यह कहना उचित है कि लगभग 97-98 वर्षों के बाद आवेदक नकल प्राप्त करने गये जबकि इतना पुराना मूल अभिलेख प्राप्त करना नामुमकिन है। अगर आवेदक के नाम जमाबंदी चल रही होती तो वे अंचल अधिकारी के यहाँ

ऑनलाईन अपना नाम चढ़वाते परंतु ऐसा नहीं है। यह कि आवेदक ने अंचल अधिकारी के यहाँ कोई भी आवेदन विपक्षी के नाम से चल रही जमाबंदी को खारिज करने का कोई आवेदन नहीं दिये जबकि विद्वान अंचल अधिकारी का न्यायालय प्रथम न्यायालय है और यह न्यायालय अपीलीय न्यायालय है। यह भी उल्लेखित किया है कि खतियानी रैयत ने लगान नहीं दिया तब जमीन्दार ने हरनाथ महतो पर रेन्ट सुट किया। आवेदक का आवेदन खारिज करने हेतु अनुरोध किया गया है।

प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष के कारण पृच्छा में उल्लेखित बिन्दुओं तथा अंचल अधिकारी, चतरा से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में उल्लेखित बिन्दुओं का विस्तृत अवलोकन तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के आधार पर निम्नांकित मुख्य बिन्दु परिलक्षित हुए :-

मुख्य बिन्दु :-

1. **खतियानी जमीन:-** अभिलेख में संलग्न अंचल अधिकारी, चतरा से संबंधित भूमि का प्राप्त जांच प्रतिवेदन में अंकित है कि ग्राम-भादे, थाना-चतरा, थाना नं०-264 के खाता संख्या-07 कुल प्लॉट 11, कुल रकबा-7.87 एकड़ सर्वे खतियान में हरनाथ महतो वल्द बौध महतो कौम कोइरी, सा०-टीकर के नाम से दर्ज है। लगान 8.50 रुपये खतियान में दर्ज है।

2. **जमाबंदी कायम:-** अभिलेख में संलग्न अंचल अधिकारी, चतरा से संबंधित भूमि का प्राप्त जांच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम-भादे, थाना नं०-264 के पंजी-11 पृष्ठ संख्या-149/1 पर विशुन महतो बगैरह, पिता-मतल महतो के नाम से जमाबंदी कायम है।

3. **रैयती जमीन:-** प्रथम पक्ष अपने लिखित बयान में उल्लेखित किया है कि सर्वे रैयत के जीवन काल में या सर्वे रैयत के मरने के बाद कभी खाता संख्या-07 का जमीन नीलाम नहीं हुआ तथा सर्वे रैयत उक्त खाता का जमीन का बाजीदावा नहीं दिये और न ही कहीं छोड़ कर भागे। उक्त खाता संख्या-07 का जमीन सर्वे रैयत के मरने के बाद सर्वे रैयत के वारिसान जोत कोड़ दखल कब्जा में हमेशा रहा है।

द्वितीय पक्ष के लिखित बयान में उल्लेखित है कि ग्राम-भादे के खाता संख्या-07 सर्वे खतियान में हरनाथ महतो के नाम दर्ज हुआ था, परन्तु हरनाथ महतो जमीन्दार को लगान नहीं दिये तो बकाया लगान वसूल करने के लिए भूतपूर्व जमीन्दार ने एक रेंट सुट नं०-780/1923-24 दाखिल किया, जिसके फलस्वरूप जमीन नीलाम हो गया, जिसे द्वितीय पक्ष के पूर्वज मतल महतो ने खरीद किया था तथा जमीन्दारी उन्मूलन के पूर्व भूतपूर्व जमीन्दार को लगान दिये तथा जमीन्दारी उन्मूलन के पश्चात् सरकार को लगान देकर सरकारी रसीद विसुन महतो के नाम से निर्गत हुआ है।

4. द्वितीय पक्ष ने अपने कारण पृच्छा में यह भी उल्लेखित किया है कि " आवेदक ने अंचल अधिकारी के यहाँ कोई भी आवेदन विपक्षी के नाम से चल रही जमाबंदी को खारिज करने का कोई आवेदन नहीं दिए जबकि विद्वान अंचल अधिकारी का न्यायालय प्रथम न्यायालय है और यह न्यायालय अपीलीय न्यायालय है।"

उपरोक्त तथ्यों एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों से स्पष्ट है कि संबंधित जमीन में कायम जमाबंदी का विवाद है।

अतः अंचल अधिकारी, चतरा को निदेश दिया जाता है कि संबंधित मामले में पुनः सुनवाई करते हुए तथा स्वयं दखल कब्जा एवं दोनों पक्षों से प्राप्त/प्राप्त होने वाले कागजातों का पुनः अवलोकन करते हुए विधिसम्मत/न्यायसंगत आदेश पारित करना सुनिश्चित करेंगे।

अग्रेतर कार्रवाई हेतु आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, चतरा को भेजें।
वाद की प्रक्रिया समाप्त की जाती है।

(लेखापित एवं संशोधित)


02/12/2020
भूमि सुधार उपसमाहत्ता,
चतरा।


02/12/2020
भूमि सुधार उपसमाहत्ता,
चतरा।